न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

प्रकरण संख्या– अपील डिक्री/टीए/1192/2005/नागौर

1– राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, मेड़ता जिला नागौर।

2– जिला कलक्टर, नागौर।

–अपीलांटस

बनाम

1– रमजीराम उर्फ रामजीलाल पुत्र डालूराम मृतक जरिए वारिसानः–

1/1– बाबूलाल पुत्र रमजीराम

1/2– पप्पूराम पुत्र रमजीराम

1/3– कैलादेवी पत्नी स्व0 रमजीराम

समस्त जाति खारोल निवासी ग्राम गोठन तहसील मेड़ता, जिला नागौर।

–रेस्पोडेन्ट्स

खण्डपीठ

श्री हेमन्त कुमार गेरा, अध्यक्ष
श्री रामदयाल मीणा, सदस्य

उपस्थितः–

श्री श्रीनिवास बेनीवाल, अति0 राजकीय अधिवक्ता

श्री विरेन्द्र सिंह राठौड़, अधिवक्ता रेस्पो0

निर्णय

दिनांकः– 13.06.2025

अपीलांट द्वारा यह अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 224 के अंतर्गत न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर कैम्प मेड़ता द्वारा अपील संख्या 56/2002 में पारित निर्णय दिनांक 14.08.2003 के विरूद्ध प्रस्तुत की हैं।

2– प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो0/वादी ने अपीलांट/प्रतिवादी के विरूद्ध एक राजस्व वाद अंतर्गत धारा 88, 89 एवं 188 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मेड़ता के न्यायालय में इस आशय का पेश किया कि विवादित भूमि खसरा संख्या 502

रकबा 10 बीघा भूमि ग्राम टालमपुर में स्थित है, जिस पर वादी के पिता का जागीर के समय से कब्जा काश्त चला आ रहा है, किन्तु वादी के अनपढ़ होने से उसका नाम राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद नहीं हो सका एवं पैमाइश के समय विवादित भूमि राजस्व रिकार्ड में राजकीय सिवायचक भूमि दर्ज कर दी गई, जबकि मौके पर उनका राज0काश्त0अधि0 प्रभाव में आने से पूर्व से कब्जा काश्त चला आ रहा है। अतः वादग्रस्त आराजी की खातेदारी वादी के नाम दर्ज की जावें तथा प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावें कि वादग्रस्त आराजी पर वादी के काश्त व कब्जे में किसी प्रकार की दखलअंदाजी न तो प्रतिवादीगण स्वयं करें एवं ना ही अन्य किसी से करावें। विचारण न्यायालय द्वारा वाद दर्ज रजिस्टर करते हुए प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण ने उपस्थित होकर जवाबदावा पेश किया। विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 25.02.2002 द्वारा वादी का वाद निरस्त कर दिया। उक्त निर्णय एवं डिक्री से व्यथित होकर वादी/रेस्पो0 द्वारा प्रथम अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर के समक्ष पेश की गई, जिसे अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 14–08–2003 द्वारा स्वीकार कर वादी/रेस्पो0 का वाद डिक्री किया । प्रथम अपीलीय न्यायालय के उक्त निर्णय व डिक्री से व्यथित होकर अपीलांट ने यह द्वितीय अपील मण्डल न्यायालय के समक्ष पेश की है।

3– हमनें उपभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी ।

4– विद्वान अति0 राजकीय अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमों में अंकित कथनों को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से काबिल निरस्तनीय है । अपीलीय न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि रेस्पो0/वादी ने ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की, जिससे साबित हो कि वह विवादित भूमि पर राज0काश्त0अधि0 1955 के प्रभाव में आने से पूर्व से काबिज हो। रेस्पो0 विवादित भूमि का महज अतिक्रमी है, जिसे कानूनन राज0काश्त0अधि0 के तहत कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। विवादित भूमि गैर मुमकिन मगरा होकर राजकीय भूमि है जिसमें बहुमूल्य खनिज पदार्थ है, जो राज्य सरकार की सम्पत्ति है एवं ऐसी भूमि की किसी व्यक्ति विशेष को खातेदारी में देना जनहित एवं राज्यहित के विपरीत है। अपीलीय न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि राज0काश्त0अधि0 की धारा 16 के अंतर्गत सार्वजनिक प्रयोजन एवं

जनहित की भूमि का आवंटन, नियमन या गैरखातेदारी अधिकार दिए जाने से प्रतिबंधित किया गया है। अपीलीय न्यायालय ने विधि के प्रावधानों के विपरीत जाकर निर्णय पारित किए जाने में त्रुटि कारित की है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14.08.2003 को निरस्त किया जावें तथा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मेड़ता द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25.02.2002 को यथावत् रखा जाकर वादी/रेस्पो0 का दावा निरस्त किया जावें।

5— विद्वान अति0 राजकीय अधिवक्ता ने अपील के साथ ही प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पेश कर कथन किया कि अपीलीय न्यायालय के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14.08.2003 पारित होने के पश्चात् पत्रावली का कलक्टर, नागौर द्वारा विधिक परीक्षण कराए जाने पर उक्त निर्णय को राज्यहित के विपरीत पाते हुए कलक्टर महोदय ने उक्त निर्णय के विरूद्ध मण्डल न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने हेतु अपने पत्र दिनांक 27.12.2004 द्वारा तहसीलदार, मेड़ता को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया, जो उन्हें दिनांक 30.12.2004 को प्राप्त होने पर तहसीलदार, मेड़ता ने उक्त निर्णय एवं डिक्री की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया तथा तत्पश्चात् माह दिसंबर 2004 एवं जनवरी 2005 में प्रभारी अधिकारी प्रशासन आपके द्वार एवं पंचायत चुनाव में व्यस्त रहे एवं तत्पश्चात् अधिवक्ता से संपर्क कर बिना किसी विलंब के यह अपील मण्डल न्यायालय के समक्ष पेश की है। अतः अपील पेश किए जाने में हुआ विलंब क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावें ।

6— विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण ने बहस में कथन किया कि अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है । विवादग्रस्त आराजी पर रेस्पो0 के पिता का कब्जा काश्त सेटलमेंट के पूर्व से चला आ रहा है। वादी/रेस्पो0 के कब्जे के आधार पर वादी को खातेदारी प्रदान की गई, जिसका प्रीमियम वादी से वसूल किया गया जिसका इन्द्राज ढालबांछ के अवलोकन से परिलक्षित होता है। वादी ने उक्त आराजी की बीघोड़ी राज में जमा करवाई जिसकी रसीदें वादी द्वारा प्रस्तुत की गई है। वादी का लगातार कब्जा होने के बावजूद एवं वादग्रस्त आराजी की प्रीमियम राशि जमा करवाए जाने के बावजूद अभी तक वादग्रस्त आराजी की खातेदारी वादी के नाम दर्ज नहीं की गई है तथा तहसील कार्यालय से कोई कार्यवाही नहीं की गई है। इस

संबंध में वादी ने जरिए अधिवक्ता तहसीलदार को नोटिस भी दिया परंतु कोई ध्यान नहीं दिया गया इसलिए वादी को विचारण न्यायालय के समक्ष दावा पेश करना पड़ा, जिसमें विचारण न्यायालय ने विधिक प्रावधानों के विपरीत जाकर निर्णय पारित किया था, जिसे निरस्त करके अपीलीय न्यायालय ने विधिसम्मत् निर्णय पारित किया है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावें।

7– हमनें उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों तथा अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों व डिक्री का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है । अपीलांट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होते है । अतः न्यायहित में अपील में हुआ विलंब क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

8– प्रकरण में गुणावगुण पर पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट/वादी ने उपखण्ड अधिकारी, मेड़ता के समक्ष वादपत्र बाबत् घोषणा खातेदारी एवं स्थायी निषेधाज्ञा का इस आशय का पेश किया कि विवादित आराजी मौजा टालनपुर खेत खसरा संख्या 502 में से रकबा 10 बीघा भूमि पर वादी का उसके पूर्वजों के समय से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रभाव में आने से पूर्व से कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा मिसल नंबर 1280/69 के जरिये खातेदारी अधिकार भी प्रदान किये गये थे तथा प्रीमियम राशि भी वसूल की गई थी किन्तु राजस्व रिकार्ड में खातेदारी का इंद्राज नहीं किया गया है । अतः वाद स्वीकार कर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे । उक्त आशय का वाद प्रस्तुत होने पर विचारण न्यायालय ने प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया तत्पश्चात् जवाब पेश होने पर वाद में दादरसी सहित तीन तनकीयात कायम की । जिसमें तनकी संख्या 1 यह कायम की गई थी कि– "आया खेत खसरा नंबर 502 में से 10 बीघा वाके ग्राम टालनपुर वाद के पैरा नंबर एक में अंकित पड़ौस बीच की सेटलमेंट के समय से वादी के पिता व वादी के काश्त कब्जे में है ओर इसलिये वादी इस रकबा की खातेदारी अधिकारी प्राप्त करने का अधिकारी है ?

9– इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर था । प्रस्तुत जमाबंदी संवत 2048 से 2051 के अनुसार वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 502 रकबा 32 बीघा 1 बिस्वा गै0मु0 मगरा राजकीय खाते में दर्ज है । वादी ने ऐसा कोई

दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया जिससे यह साबित हो कि वादग्रस्त आराजी पर वादी का लगातार कब्जा काश्त रहा हो । विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 जा0दी0 के संलग्न दस्तावेजात के अवलोकन से यह प्रकट है कि संवत् 2032 से 2035 की खसरा गिरदावरी में खसरा नंबर 502 मीन के कॉलम नंबर 6 में काना वल्द रावत कौम भाम्बी सा0दे0 दर्ज है और कॉलम नंबर 14 में रामदेव, डालू खारोल अंकित है । इसके अतिरिक्त प्रस्तुत ढाल–बांछ की सभी प्रतियों के अवलोकन से यह प्रकट है कि इनमें केवल शास्ति/जुर्माना का अंकन है जो किसी भी रूप में वादी के निरन्तर कब्जे काश्त को प्रमाणित नहीं करता है अपितु उसके द्वारा किये गये अतिचार के फलस्वरूप दण्ड के रूप में लगाई गई शास्ति को दर्शाता है । इसके आधार पर रेस्पो0/वादी का कब्जा काश्त प्रमाणित मानते हुए राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर द्वारा जो आक्षेपित निर्णय व डिक्री पारित किया गया है, वह उचित नहीं है । इसके अतिरिक्त यह बात भी उल्लेखनीय है कि वादी द्वारा खसरा नंबर 502 के क्रम में वाद पेश किया है जिसकी किस्म राजस्व रिकॉर्ड में गैर मुमकिन मगरा दर्ज है जबकि खसरा नंबर 503 की किस्म दिनांक 11.10.1969 के आवंटन आदेश में बा0 तृतीय अंकित है । वादी ने मिसल संख्या 1280/69 द्वारा खातेदारी दिये जाने का कथन किया है परन्तु उसे खातेदारी खसरा नंबर 503 की दी गई है । इस प्रकार उक्त दस्तावेज वादी को कोई अनुतोष दिलानें में कोई सहायता प्रदान नहीं कर सकते है क्योंकि वादी ने खसरा नंबर 502 बाबत् अनुतोष चाहा है । इस प्रकार वादी उक्त तनकी को दस्तावेजी साक्ष्यों से पूर्णत साबित करने में असफल रहा है । इसी कारण तनकी संख्या 1 विचारण न्यायालय द्वारा वादी के विरूद्ध निर्णित की गई है ।

10– इसी प्रकार विचारण न्यायालय ने तनकी संख्या 2 निम्न प्रकार कायम की थी कि– **''आया मुतनाजा आराजी गै0मु0 मगरा राजकीय भूमि दर्ज होने से खातेदारी दिये जाने योग्य नहीं है ?** इस तनकी को सिद्ध करने हेतु प्रतिवादी ने जमाबंदी संवत् 2048–2051 पेश की है जिसके कॉलम संख्या 4 में खसरा नंबर 502 बाबत् यह अंकन किया हुआ है कि – **''राजकीय भूमि का खाता (ख) भूमियां कृषि योग्य नहीं है (अ) पहाड़ तथा पहाड़िया व मगरा है।''** विधिनुसार कब्जे काश्त के आधार पर धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत गैर मुमकिन मगरा भूमि पर खातेदारी अधिकार प्रदत्त नहीं किये जा सकते है । इसी कारण उक्त तनकी वादी के विरूद्ध निर्णित की जाकर वादीगण का वाद खारिज किया गया था । वादीगण द्वारा प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष

कोई ठोस साक्ष्य पेश नहीं किये जाने के बावजूद केवल मात्र गवाहों के बयानों तथा कब्जे के आधार पर अपील स्वीकार कर वादी का वाद डिक्री किया है जिसे विधिसम्मत् निर्णय व डिक्री नहीं माना जा सकता है। उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांट स्वीकार योग्य पायी जाती है ।

11— परिणामतः **अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है । राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 14.08.2003 निरस्त किया जाता है तथा उपखण्ड अधिकारी, मेड़ता द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 25.02.2002 यथावत् रखा जाता है ।**

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(रामदयाल मीणा)
सदस्य

(हेमन्त कुमार गेरा)
अध्यक्ष